Role of RPF in dealing with

निम्न से निपटने में आरपीएफ़ की भूमिका

- **Missing Children**
  गुमशुदा बच्चे
- **Child Sexual Abuse**
  बाल यौन शोषण
- **Child Trafficking**
  बाल दुर्व्यापार

INDIA CHILD PROTECTION

बच्चा कौन है

- कोई भी सामाजिक-आर्थिक पृष्ठभूमि
- 18 वर्ष से कम
- पुरुष महिला ट्रांसजेंडर
- मासूम
- लापरवाह
- किसी भी धर्म का बच्चा
- जिज्ञासु
- नटखट

INDIA CHILD PROTECTION

रेलवे के संपर्क में आया, विषम परिस्थितियों वाला बच्चा

रेलवे के संपर्क में आने वाले बच्चों में निम्न बच्चे शामिल हैं

आंकड़ा

- **भारत में हर घंटे 10 बच्चे लापता हो जाते हैं।**

गुमशुदा बच्चों के मामले

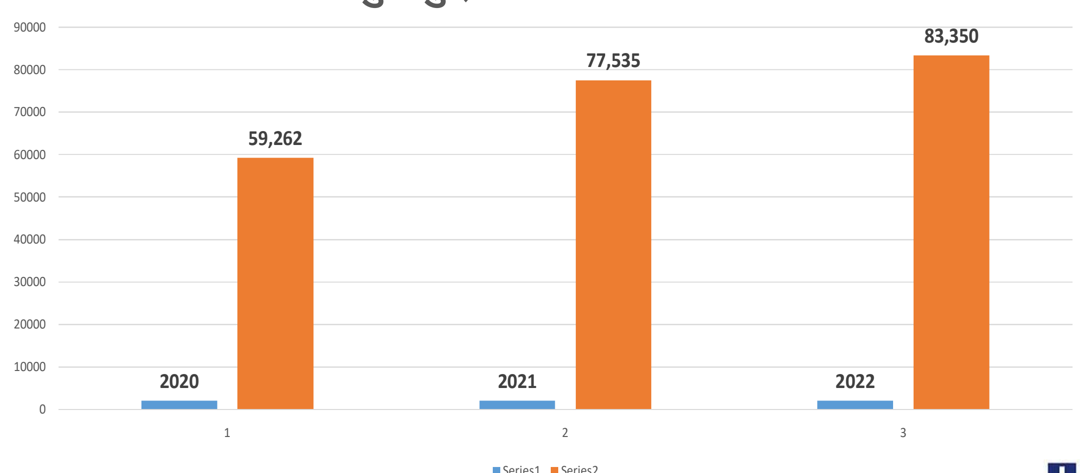

bachpan bachao andolan

ह्यूमन ट्रेफिकिंग (मानव दुर्व्यापार) एनसीआरबी डेटा

दुर्व्यापार के कुल पीड़ितों में से 47.6 प्रतिशत बच्चे (2878) हैं, जिनमें से 63 प्रतिशत लड़के और 37 प्रतिशत लड़कियां हैं

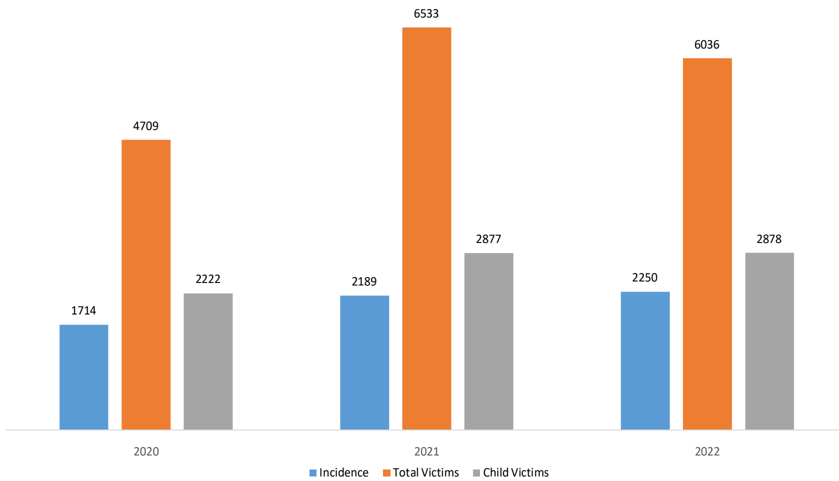

INDIA CHILD PROTECTION

bachpan bachao andolan

INDIA CHILD PROTECTION

गुमशुदा बच्चा कौन है

लापता बच्चा -

- कोई भी बच्चा जो अपने माता-पिता या कानूनी अभिभावकों के संरक्षण में नहीं है (**नियम 92, किशोर न्याय अधिनियम (2015) के अनुसार**)
- **सी0एन0सी0पी0** - जिसके लापता होने या भाग जाने की सूचना दी गई हो या जिसके माता-पिता उचित पूछताछ के बाद भी नहीं मिल सके धारा 2(14)(vii) **किशोर न्याय अधिनियम (2015)**
- बाल देखभाल संस्थान (सी0सी0आई0) से भाग जाने या निकल जाने वाला बच्चा

लापता बच्चों में अन्य शामिल हैं

- **जिन बच्चों का पता लगाया गया है**:

एक बच्चा जिसे पुलिस ने लापता बच्चे की रिपोर्ट/एफआईआर के आधार पर खोजा है|

- **जो बच्चे मिल गए हैं**:

वह बच्चा, जो पुलिस को सड़कों पर/बाजार में/रेलवे प्लेटफॉर्म पर/बस स्टॉप पर/ट्रेन में/बंदरगाह पर/हवाई अड्डे पर/बस या अन्य सार्वजनिक परिवहन पर/अस्पताल में मिला है अथवा बचाव कार्य के दौरान या किसी भी सार्वजनिक स्थान पर मिला है और/या किशोर न्याय बोर्ड ("जेजेबी")/बाल कल्याण समितियां ("सीडब्ल्यूसी")/चाइल्डलाइन/किसी अन्य गैर सरकारी संगठन या किसी व्यक्ति द्वारा पुलिस के समक्ष लाया गया है।

bachpan bachao andolan
kthemissingchild.gov.in/trackchild/index.php
guage: English
Resource Directory
Ministry of Women and Child Development
NATIONAL TRACKING SYSTEM
for
MISSING & VULNERABLE CHILDREN
CARA
TrackCHILD 3.0
HOME
ABOUT TRACKCHILD
NOTICE BOARD
STAKEHOLDERS' LOGIN
FEEDBACK
CHILDREN RELATED LAW
Let's reintegrate every "Missing Child"
of the country with their families
There is no greater burden or torture in this
life than for parents to live without their child
In Emergency, dial
1098 for Childline
100 for Police
INDIA CHILD PROTECTION

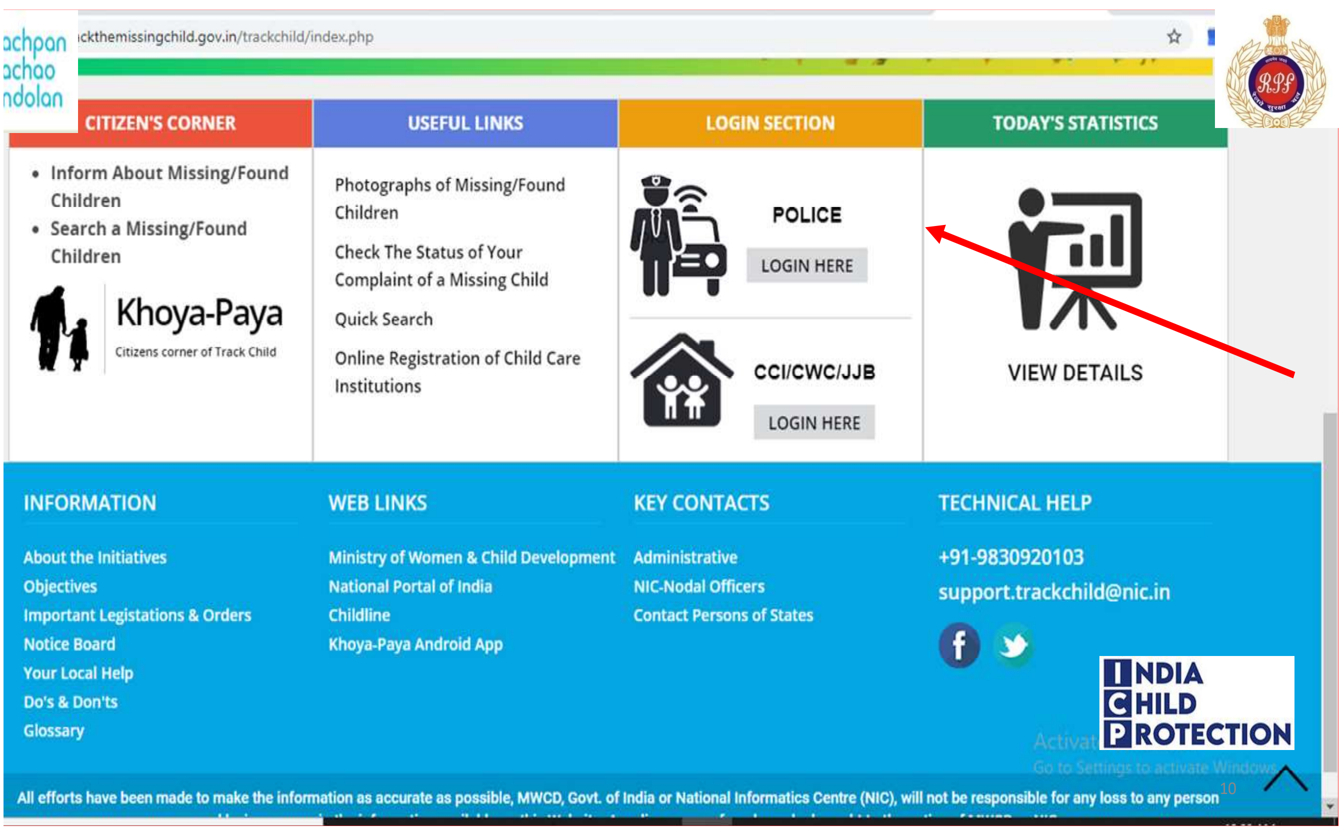
achpan achao ndolan
ckthemissingchild.gov.in/trackchild/index.php
CITIZEN'S CORNER
USEFUL LINKS
LOGIN SECTION
TODAY'S STATISTICS
Inform About Missing/Found Children
Search a Missing/Found Children
Khoya-Paya
Citizens corner of Track Child
Photographs of Missing/Found Children
Check The Status of Your Complaint of a Missing Child
Quick Search
Online Registration of Child Care Institutions
POLICE
LOGIN HERE
CCI/CWC/JJB
LOGIN HERE
VIEW DETAILS
INFORMATION
About the Initiatives
Objectives
Important Legistations & Orders
Notice Board
Your Local Help
Do's & Don'ts
Glossary
WEB LINKS
Ministry of Women & Child Development
National Portal of India
Childline
Khoya-Paya Android App
KEY CONTACTS
Administrative
NIC-Nodal Officers
Contact Persons of States
TECHNICAL HELP
+91-9830920103
support.trackchild@nic.in
INDIA CHILD PROTECTION
All efforts have been made to make the information as accurate as possible, MWCD, Govt. of India or National Informatics Centre (NIC), will not be responsible for any loss to any person

Form M

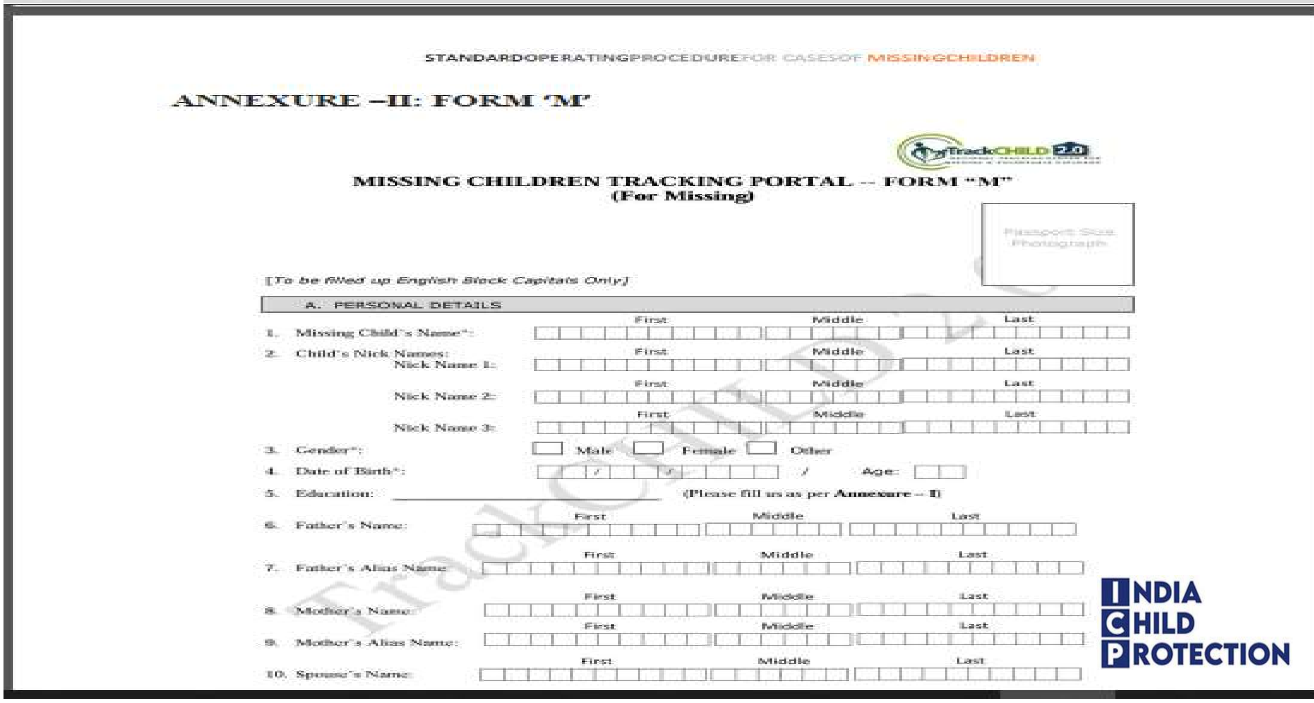

STANDARD OPERATING PROCEDURE FOR CASES OF MISSING CHILDREN

ANNEXURE –II: FORM 'M'

MISSING CHILDREN TRACKING PORTAL -- FORM "M"
(For Missing)

Passport Size Photograph

[To be filled up English Block Capitals Only]

A. PERSONAL DETAILS

1. Missing Child's Name*: First Middle Last
2. Child's Nick Names:
Nick Name 1: First Middle Last
Nick Name 2: First Middle Last
Nick Name 3: First Middle Last
3. Gender*: Male Female Other
4. Date of Birth*: / / Age:
5. Education: (Please fill us as per Annexure – I)
6. Father's Name: First Middle Last
7. Father's Alias Name: First Middle Last
8. Mother's Name: First Middle Last
9. Mother's Alias Name: First Middle Last
10. Spouse's Name: First Middle Last

जब बच्चा मिल गया

- बच्चे को सीण्डब्ल्यूसी/जेजेबी/बाल न्यायालय के समक्ष पेश करना
- ट्रैकचाइल्ड पोर्टल पर रिकवरी फॉर्म "आर" भरना और
- डेटा को www.trackthemissingchild.gov.in पर अपडेट करना

फॉर्म आर (R)

STANDARD OPERATING PROCEDURE FOR CASES OF MISSING CHILDREN

ANNEXURE VI: FORM 'R'

MISSING CHILDREN TRACKING PORTAL - FORM " R"
(for "Recovered")

Passport Size Photograph

[To be filled up English Block Capitals Only]

A. PERSONAL DETAILS

1.Recovered Child/Person's Name*: First Middle Last
2.Child/Person's Nick Name:
Nick Name 1:
Nick Name 2:
Nick Name 3:
3. Gender*: Male Female Other
4. Date of Birth*: D D / M M / Y Y Y Y OR Age:
5. Education: (Please fill up as per Annexure I)
6. Father's Name: First Middle Last
7. Father's Alias Name:
8. Mother's Name: First Middle Last
9. Mother's Alias Name:
10. Spouse's Name: First Middle Last
11. Spouse's Alias Name:
12. No. of Siblings: 13. Name (s) of Siblings:
14. Name of Local Guardian:
15. Relationship with Local Guardian: Father Mother Husband Other
16. Nationality*:
17. Religion: (Please fill up as per Annexure II)
18. Mother Tongue: (Please fill up as per Annexure III)
19. Aadhaar No.:

गुमशुदा बच्चे और ट्रेफिकिंग

- नौकरी का लालच देकर बच्चों को ले जाना
- भीख मांगने और यौन शोषण जैसे संगठित गठजोड़ के लिए बच्चे का उपयोग
- जबरन बाल श्रम/बंधुआ मजदूरी के लिए उपयोग
- अंग व्यापार के लिए उपयोग

मानव दुर्व्यापार

शोषण के रूप

जबरन श्रम /बंधुआ मजदूरी

अंगों को निकालना /अंगों की चोरी करना

बच्चे के साथ यौन संबंध बनाना

उसकी जबरन शादी करना

बेचना

उसका अपहरण करना

बंधक बनाना

या उससे जबर्दस्ती भीख मंगवाना

दुर्व्यापार करने वाला कैसे काम करता है

स्रोत

वह क्षेत्र या स्थान, जहाँ से एक पीड़ित की पहचान होती है और शोषण करने के इरादे से उसे भर्ती किया जाता है|

मार्ग

जिस मार्ग के माध्यम से पीड़ित को लक्षित शोषण के स्थान पर ले जाया जाता है|

बाज़ार

वह क्षेत्र या स्थान, जहाँ आर्थिक लाभ के लिए दुर्व्यापार से पीड़ित व्यक्ति का शोषण किया जाता है|

INDIA CHILD PROTECTION

बच्चों की सुरक्षा के लिए कानून

- भारतीय न्याय संहिता, 2023 (बी०एन०एस०)
- लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012
- सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000
- किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल और संरक्षण) अधिनियम, 2015
- बाल और किशोर श्रम (प्रतिषेध और विनियमन) अधिनियम, 1986
- अनैतिक व्यापार (निवारण) अधिनियम 1956 (आईटीपीए)
- बंधुआ मजदूरी प्रणाली (उन्मूलन) अधिनियम, 1976
- बाल विवाह निषेध अधिनियम, 2006

INDIA CHILD PROTECTION

सबसे अधिक लाभदायक आपराधिक गतिविधि

अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की रिपोर्ट 2014 के अनुसार:

- नशीली दवाओं और हथियारों के बाद यह दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा संगठित अपराध
- पूरा नेटवर्क अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक फैला हुआ
- मानव दुर्व्यापार से हर वर्ष पूरी दुनिया में करीब 150.2 बिलियन डॉलर की कमाई

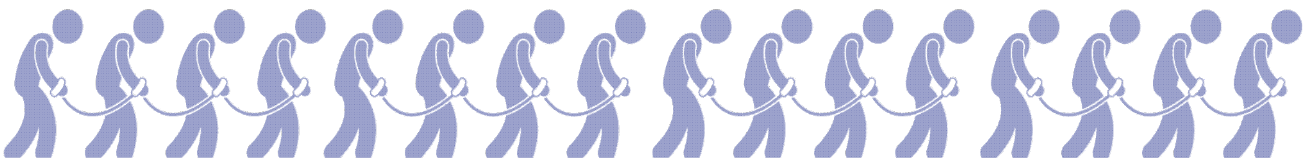

दुर्व्यापार का अपराध

- क्षेत्रीय, स्थानीय तथा अंतर्राष्ट्रीय सभी स्तरों पर

पीड़ित कौन है?

- कोई भी.....

  महिला, पुरुष, बच्चे

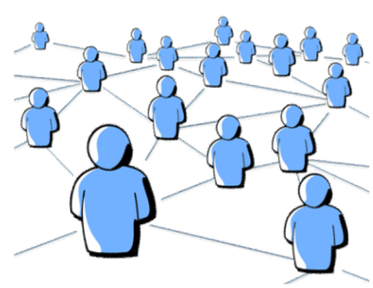

दुर्व्यापार का अपराधी (ट्रेफिकर) कौन है?

कोई भी व्यक्ति

- जो मानव दुर्व्यापार की प्रक्रिया के किसी भी कार्य में शामिल है
- जो दूसरों का शोषण कर अपना लाभ लेता है और मुनाफा और सुविधा प्राप्त करता है
- स्रोत क्षेत्र से गंतव्य तक दुर्व्यापार की श्रृंखला में कहीं भी शामिल

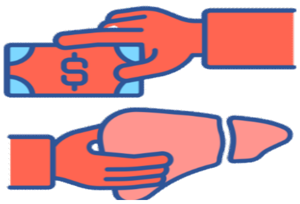

कानूनी प्रावधान

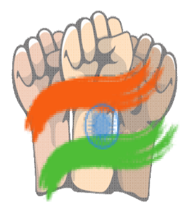

• भारतीय संविधान

भारतीय संविधान के **अनुच्छेद 23 (1)** में मानव के दुर्व्यापार और बेगार तथा इस प्रकार के अन्य बलात श्रम का निषेध किया गया है| इस अनुच्छेद के अनुसार, यदि इस उपबंध का उल्लंघन किया जाता है, तो वह दंडनीय होगा|

- **अनैतिक व्यापार निवारण अधिनियम (आई०टी०पी०ए०), 1956** के अनुसार, वेश्यावृत्ति के लिए किसी व्यक्ति को लाना, फुसलाना या बहलाने की चेष्टा करना दुर्व्यापार (ट्रैफिकिंग) में शामिल है, जो दंडनीय अपराध है|

ह्यूमन ट्रेफिकिंग (मानव दुर्व्यापार) क्या है

भारतीय न्याय संहिता की धारा 143 /भारतीय दंड संहिता की धारा 370 में मानव दुर्व्यापार (ह्यूमन ट्रेफिकिंग) को परिभाषित किया गया है:

- दुर्व्यापार का अर्थ है व्यक्तियों की भर्ती, परिवहन, स्थानांतरण, आश्रय या प्राप्ति और इसके लिए जिस माध्यम या तरीके का प्रयोग किया जाता है, वह निम्न है –

❑ धमकी

❑ बल या जबरदस्ती

❑ अपहरण

❑ धोखाधड़ी या धोखा

❑ शक्ति के दुरुपयोग द्वारा, या

❑ पीड़ित की सहमति प्राप्त करने के लिए धन या लाभ देने या लेने सहित प्रलोभन

ह्यूमन ट्रेफिकिंग (मानव दुर्व्यापार) क्या है

प्रक्रिया		
गतिविधियाँ (इनमें से कोई भी)	माध्यम /तरीके (इनमें से कोई भी)	उद्देश्य/इरादा (इनमें से कोई भी)
• भर्ती • परिवहन • एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजना • आश्रय देना • व्यक्ति को हासिल करना	❑धमकी ❑ बल या जबरदस्ती ❑ अपहरण ❑ धोखाधड़ी या धोखा ❑ शक्ति के दुरुपयोग द्वारा, या ❑ पीड़ित की सहमति प्राप्त करने के लिए धन या लाभ देने या लेने सहित प्रलोभन	शोषण जिसमें कम से कम शामिल है : • शारीरिक शोषण • यौन शोषण • गुलामी या गुलामी के समान कार्य (जैसे - जबरन मज़दूरी कराना) • दासता • भिक्षावृत्ति • अंगों को बलपूर्वक हटाना

ह्यूमन ट्रेफिकिंग क्यों

बीएनएस (भारतीय न्याय संहिता) धारा 111- संगठित अपराध

रेलवे परिसर या ट्रेन में बाल यौन शोषण

- बच्चे के निजी अंगों को छूना
- बच्चे को किसी व्यक्ति या व्यक्तियों के निजी अंगों को छूने के लिए कहना
- बच्चे से अश्लील बातें करना या अपशब्द बोलना या अश्लील इशारे करना
- बच्चे को अश्लील फोटो या विडियो दिखाना अथवा अश्लील अवस्था में उसका फोटो खींचना या विडियो बनाना
- बच्चे का बार-बार निरंतर पीछा करना या भद्दी टिप्पणी करना
- अश्लील प्रयोजन के लिए बच्चे को प्रलोभन देना

पोक्सो अधिनियम के तहत अन्य प्रावधान

अनिवार्य रिपोर्टिंग

पहचान उजागर न करना

बाल मैत्रीपूर्ण प्रक्रिया

रेलवे में लापता, बाल दुर्व्यापार और बाल यौन शोषण के मामले

- परिवहन और स्थानांतरण का सबसे आसान और सबसे सस्ता साधन
- स्टेशनों पर चढ़ना और उतरना आसान
- कम संदेह
- पता लगाना और गिरफ्तार करना मुश्किल
- विशाल क्षेत्र

संकटग्रस्त या व्यथित बच्चे की पहचान कैसे करें?

- बच्चे का उदास, खोया हुआ या चिंतित लगना
- डरा हुआ, घबराया या सहमा हुआ दिखना
- शरीर पर चोट, कटने, जलने या खरोंच के निशान
- बच्चा जिसके साथ यात्रा कर रहा है, उससे नज़र न मिलाना
- उचित टिकट उपलब्ध कराने या गंतव्य स्थान स्पष्ट रूप से बताने में असमर्थ
- काफी देर से स्टेशन परिसर में घूमता नजर आ रहा है
- ट्रेन में चढ़ते बच्चों का समूह
- 4-5 या अधिक बच्चों के साथ 1-2 वयस्क भी हों
- बच्चों को बार-बार एक डिब्बे से दूसरे डिब्बे में स्थानांतरित किया जा रहा है

संकटग्रस्त या व्यथित बच्चे की पहचान कैसे करें?

- बच्चे बात नहीं कर रहे हैं या उन्हें बात करने की अनुमति नहीं है
- बच्चे और उनके साथ यात्रा कर रहे व्यक्ति की वेशभूषा और कपड़ों में तालमेल नहीं होना।
- बच्चे के माता-पिता या अभिभावक या किसी वयस्क का उसके साथ नहीं होना
- बच्चा और उसे ले जानेवाले की भाषा और रंग-रूप बिलकुल अलग होना
- यदि बच्चा किसी तरह के तनाव मे है और इसके बावजूद साथ यात्रा कर रहा व्यक्ति उसकी ओर ध्यान नहीं दे रहा या उसको कोई फर्क पड़ता नहीं दिख रहा
- बच्चों का समूह में होना और उनके बीच आपस में कोई बातचीत न होना, कोई शरारत न करना, यात्रा का मजा नहीं लेना, और उनके साथ यात्रा कर रहा व्यक्ति जो कहे, उसे तुरंत मान लेना

आर0पी0एफ़0 की भूमिका

ऐसी परिस्थितियों में आप क्या कर सकते हैं?

बच्चे से शांति से बात करें और निम्न सवाल पूछें-

- आप कहाँ जा रहे हैं?
- कहाँ से आ रहे हैं?
- जो लोग आपके साथ हैं, वे आपके क्या लगते हैं?

यदि बच्चा अकेला यात्रा कर हो

- अकेले यात्रा क्यों कर रहे हैं?
- आपके माता-पिता या अभिभावक कहाँ हैं?
- कहाँ जा रहे हो?
- क्यों जा रहे हो?
- कितने दिनों के लिए जा रहे हो?
- यात्रा पूरी होने पर कहाँ रहोगे?

संतोषजनक जबाव नहीं मिलने पर उसे संरक्षण में लेना। आगे की कार्यवाही के लिए बच्चे का रिकॉर्ड रखकर बच्चे को जी०आर०पी० को सुपुर्द करना।

आर0पी0एफ़0 की भूमिका

यदि किसी कारणवश उस समय जीआरपी का कोई अधिकारी उपलब्ध नहीं हो:

- स्टेशन मास्टर से आग्रह कर, बच्चे को प्रतीक्षालय में रुकवाने की व्यवस्था करें|
- यदि बचाया गया बच्चा बालिका है तो महिला आरपीएफ़ या महिला रेलवे कर्मी का उसे सुरक्षा प्रदान करना
- प्रतीक्षालय में बच्चे के रुकने की व्यवस्था न हो पाने की स्थिति में सीएचडी (चाइल्ड हेल्प डेस्क) या कार्यरत एनजीओ से संपर्क

रेलवे के संपर्क में आर्ये्ट्रफिकर की पहचान

- पूछने पर इस बारे में कोई स्पष्ट जवाब न देना कि बच्चे उसके साथ क्यों हैं
- पते के प्रमाण के रूप में प्रदान किए गए दस्तावेज़ों में सभी बच्चों के लिए एक ही पता हो सकता है
- ट्रेफिकर्स का खुद को रिश्तेदार या माता-पिता के रूप में प्रस्तुत करना
- व्यक्ति का बच्चे के प्रति बेपरवाह होना या उसका ध्यान नहीं रखना
- उसका व्यवहार बच्चे के साथ बहुत बनावटी होना
- उसका और उसके साथ यात्रा कर रहे बच्चों की वेशभूषा और कपड़ों में तालमेल नहीं होना,
- टी०टी० या रेलवे अधिकारी को देखकर एकदम से असहज हो जाना
- व्यक्ति का मोबाइल पर या अन्य किसी व्यक्ति के साथ संदेहास्पद बातचीत करना

आर0पी0एफ़0 की भूमिका

ऐसी परिस्थितियों में आप क्या कर सकते हैं?

संदिग्ध व्यक्ति से निम्न सवाल पूछें-

- कहाँ जा रहे हैं?
- कहाँ रहते हैं?
- किस काम के लिए जा रहे हैं?
- यह बच्चा आपका क्या लगता है?
- कितने दिनों के लिए जा रहे हैं?
- क्या वापसी का टिकिट है?
- जहां ठहरने जा रहे हो, वहां का पता क्या है?
- क्या आप उसी ज़िले के हो, जहां के आपके साथ यात्रा कर रहे ये बच्चे हैं?
- आपके साथ जो बच्चा सफर कर रहा है, क्या वो स्कूल जाता है? यदि जवाब हां में हो तो विस्तार से जानकारी के लिए और सवाल पूछें

INDIA CHILD PROTECTION

आर0पी0एफ़0 की भूमिका

यदि वह बताता है कि वह बच्चों को शैक्षिक कारण या कौशल विकास के लिए ले जा रहा है तो पूछें कि

- किस स्कूल, या संस्थान में जा रहे हैं?
- शैक्षणिक सत्र के मध्य में या छुट्टियों में क्यों ले जा रहे हैं?
- क्या उनके घर, जिले या क्षेत्र के आस-पास कोई अच्छा शैक्षिक संस्थान या कौशल विकास केंद्र नहीं है?
- क्या उनके पास स्कूल छोड़ने का प्रमाण-पत्र या ऐसा कोई दस्तावेज़ है, या उस स्कूल या संस्थान का कोई प्रमाणपत्र है, जहां बच्चों को ले जाया जा रहा है
- क्या उनके पास कौशल विकास केंद्र का कोई दस्तावेज़, या दाखिले का प्रमाणपत्र है, जहां किशोर या किशोरियों को ले जाया जा रहा है

INDIA CHILD PROTECTION

आर0पी0एफ़0 की भूमिका

दस्तावेजों का सत्यापन करें:

- यात्रा कर रहे व्यक्ति और बच्चे का रेल टिकिट
- दोनों का पहचान-पत्र
- यदि बच्चे को शैक्षिक कारण से या कौशल विकास के लिए ले जा रहे हैं तो दाखिले का प्रमाण-पत्र

बच्चे की उम्र को लेकर संदेह

- उम्र निर्धारण किशोर न्याय अधिनियम की धारा 94 के अनुसार
- उम्र निर्धारण जीआरपी के माध्यम से, सीडबल्यूसी के द्वारा किया जाता है।
- भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यूआईडीएआई) के अनुसार आधार कार्ड नागरिकता या जन्मतिथि का प्रमाणपत्र नहीं है|

INDIA CHILD PROTECTION

आर0पी0एफ़0 की भूमिका

लगातार निगरानी बनाए रखें: उपरोक्त दस्तावेज़ न दिखाये जाने या दस्तावेज़ संतोषजनक न पाये जाने की स्थिति में **लगातार निगरानी बनाए रखें**

कार्रवाई करें- संदेह उत्पन्न होने पर निम्नलिखित कार्रवाई की जा सकती है

- अगले स्टेशन पर कार्यरत आर०पी०एफ़० को सूचित करें
- यदि अगला स्टेशन छोटा है तो अन्य बड़ा स्टेशन आने की प्रतीक्षा करें, और वहाँ पहले से ही सूचित कर दे
- आगे की कार्यवाही के लिए बच्चे और संदिग्ध व्यक्ति रिकॉर्ड रखकर बच्चे को जी०आर०पी० को सुपुर्द कर दें
- जी०आर०पी० डीडी एंट्री अथवा एफ़आईआर दर्ज करेंगे और बच्चे को सीडबल्यूसी के समक्ष प्रस्तुत करेंगे

INDIA CHILD PROTECTION

bachpan bachao andolan

बच्चे को सीडबल्यूसी के आदेश से ही

उसके माता-पिता/अभिभावक या योग्य व्यक्ति को सौंपा जा सकता है

INDIA CHILD PROTECTION

bachpan bachao andolan

बाल / महिला दुर्व्यापार मानवता के विरुद्ध अपराध है!

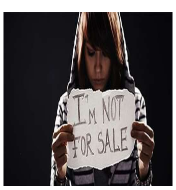

INDIA CHILD PROTECTION